A2/2.

ऑन लाईन नं.RCMS2022/87

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 07/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री मुकन्द लाल नागपाल पुत्र श्री जगन्नाथ नागपाल निवासी वार्ड नम्बर 16, व्यापार मण्डल के पास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक **मै0** नागपाल पनीर हाउस सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री किशन कुमार पुत्र श्री मुकन्द लाल नागपाल मैसर्स नागपाल पनीर हाउस वार्ड नम्बर 09, एसबीआई के पास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 22.08.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.09.2021 को 10.00 ए.एम पर दौराने निरीक्षणार्थ मुकन्द लाल नागपाल पुत्र श्री जगन्नाथ नागपाल निवासी वार्ड नम्बर 16, व्यापार मण्डल के पास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर मैसर्स नागपाल पनीर हाउस सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर एवं श्री किशन कुमार पुत्र श्री मुकन्द लाल नागपाल, मैसर्स नागपाल पनीर हाउस वार्ड नम्बर 09, एसबीआई के पास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वाहन फिलीग टैंक विकय हेतु रखा हुआ था, मालिक वि. मुकन्द लाल नागपाल पुत्र श्री जगन्नाथ नागपाल निवासी वार्ड नम्बर 16, व्यापार मण्डल के पास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर मैसर्स नागपाल पनीर हाउस सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर एवं श्री किशन कुमार पुत्र श्री मुकन्द लाल नागपाल, मैसर्स नागपाल पनीर हाउस वार्ड नम्बर 09, एसबीआई के

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता व मालिका होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ **भैंस का दुध** खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहे थे। खाद्य पदार्थ के रूप में 2 ली. **भैंस का दुध** नमूने वास्ते लिया। जिसको हिला मिलाकर एकरूप करके चार बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर परिरक्षक बतौर, फोरमलिन की 24 24 बूंदे प्रत्येक बोतल में डालकर ऐयरटाईट ढक्कन से बंद करके प्रत्येक को लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डी.ओ कोड एवं सीरियल नम्बर **के–1190** दर्ज किया। शुद्धता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना, तत्पश्चात 2 ली. **भैंस का दुध** नमूने वास्ते लिया, जिसके पेटे 80/– रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर ,5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद प्राप्त ली जो सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खरीदशुदा 2 ली. **भैंस का दुध** का नमूने लिया। प्रत्येक का लेबल तैयार कर नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के–1190** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1190** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार चार जगह द्वारा सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण **के–1190 भैंस का दुध** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्री मुकन्द लाल नागपाल पुत्र श्री जगन्नाथ नागपाल,ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमाक : एलएस/316/एक्ट/2021/315 दिनांक 30.09.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1190 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त मुकन्द लाल नागपाल पुत्र श्री जगन्नाथ नागपाल निवासी वार्ड नम्बर 16, व्यापार मण्डल के पास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Buffalo Milk** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि दिनांक 07.09.2021 को मेरी दुकान नागपाल मिल्क सेन्टर, सादुलशहर से आपके विभाग द्वारा दुध का सैम्पल लिया गया था, जो जांच बाद किसी प्रकार से स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक नहीं पाया गया, कुल मामूली फैट के कारण दुध में कमी बताई गई है। श्रीमान जी मेरा दुध का छोटा सा कारोबार है जिस कारण मेरे पांस जांच मशीन नहीं है, लेकिन दुध लेते समय दुध को टेस्ट करके लेते है। अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि मेरा दुध का छोटा सा कारोबार है तथा आयंदा दुध की पूर्ण छानबीन करके ही दुध लूंगा। इससे पहले की गई गलती के लिए माफी चाहता हूँ। अतः निवेदन है कि उपरोक्त दिये गये जांच नोटिस को दाखिल दफतर करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा तथा आयंदा ऐसे शिकायत का मौका नहीं देगा।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Buffalo Milk** का सैम्पल **K-1190** जांच रिपोर्ट क्रमांक :—एलएस/316/एक्ट/2021/315 दिनांक 30.09.2021 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 07.09.2021 को मेरी दुकान नागपाल मिल्क सेन्टर, सादुलशहर से आपके विभाग द्वारा दुध का सैम्पल लिया गया था, जो जांच बाद किसी प्रकार से स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक नहीं पाया गया, कुल मामूली फैट के कारण दुध में कमी बताई गई है। श्रीमान जी मेरा दुध का छोटा सा कारोबार है जिस कारण मेरे पांस जांच मशीन नहीं है, लेकिन दुध लेते समय दुध को टेस्ट करके लेते है। अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि मेरा दुध का छोटा सा कारोबार है तथा आयंदा दुध की पूर्ण छानबीन करके ही दुध लूंगा। इससे पहले की गई गलती के लिए माफी चाहता हूँ। अतः निवेदन है कि उपरोक्त दिये गये जांच नोटिस को दाखिल दफतर करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा तथा आयंदा ऐसे शिकायत का मौका नहीं देगा।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of Buffalo Milk **"Code No and Sr. No. K-1190 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard food as it does not conform to the prescribed stamdard of Food Safety and standards (Food Products Standaards and Food Additive) Regulations.2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

A2/5

फलस्वरूप अभियुक्त मुकन्द लाल नागपाल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 ो धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः भियुक्त मुकन्द लाल नागपाल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 ो धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 25,000—00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक ण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Buffalo Milk** खाद्य पदार्थ में ालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। नेर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर